## नियम 135 : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुपालना

इन नियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश की अनुपालना तुरंत रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी, जिसके न होने पर, यथास्थिति एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या अपने–अपने राज्यों के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अनुसार रकम वसूलने की कारवाई आरंभ की जाएगी।